मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय बल्लभ भवन, भोपाल म.प्र.

भोपाल,दिनांक 11 .08.17

क्रमांक / 1162 / 2017 / 50–2

प्रति,

कलेक्टर,
जिला–समस्त (म.प्र.)

विषय– आंगनवाडी केन्द्रों में हितग्राहियों को प्रदाय किए जाने वाले पूरक पोषण आहार में डबल फोर्टीफाइड तेल एवं नमक प्रदाय किये जाने के संबंध में ।

....

वर्तमान में 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषण आहार की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में सांझा चूल्हा कार्यक्रम के तहत् मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत कार्यरत स्व सहायता समूहों के माध्यम से तथा शहरी क्षेत्रों में स्व सहायता समूह एवं महिला मण्डल के माध्यम से संचालित की जाती हैं । आंगनवाडी केन्द्रों में प्रदाय किये जाने वाले पूरक पोषण आहार में डबल फोर्टीफाइड नमक एवं तेल का उपयोग अनिवार्यतः किया जाना चाहिए । डबल फोर्टीफाइड नमक एवं तेल मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रदाय केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है ।

आपसे अनुरोध है कि आंगनवाडी केन्द्रों में प्रदाय किये जाने वाले पूरक पोषण आहार में डबल फोर्टीफाइड नमक एवं तेल का उपयोग स्व सहायता समूहों द्वारा अनिवार्यतः किया जावें इस संबंध में आवश्यक निर्देश आपके स्तर से भी क्षेत्रीय अधिकारियों को जारी करने का कष्ट करें तथा इसकी समीक्षा निरन्तर की जावें ।

9/8/17

(जे.एन.कांसोटिया)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग

पृष्ठां.क्रमांक / 1163 / 2017 / 50–2

भोपाल,दिनांक 11 .08.17

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त,एकीकृत बाल विकास सेवा संचालनालय (म.प्र.) भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. प्रबन्ध संचालक,मप्र.स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमि.पर्यावास भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक,एकीकृत बाल विकास सेवा समस्त संभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. जिला कार्यक्रम अधिकारी,एकीकृत बाल विकास सेवा, जिला–समस्त (म.प्र.)की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

9/8/17

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग